प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री सतपाल अंतिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक **14-03-2025** को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयीः-

1- नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड व जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को थाना मूढ़ापाण्ड़े पुलिस ने किया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 13.03.2025 को वादी निवासी थाना मूढ़ापाण्ड़े क्षेत्रान्तर्गत ने आरोपीगण द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड़ करने व जान से मारने की धमकी देने के संबंध में थाना मूढ़ापाण्ड़े पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना मूढ़ापाण्ड़े पर मु0अ0सं0- 82/2025 धारा- 74/351(2) बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट बनाम उवेश आदि 01 नफर के पंजीकृत किया गया। । विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में दिनांक 13.03.2025 को उ0नि0 हंसराज सिहं व म0उ0नि0 श्रीमती मीनू चौधरी थाना मूढ़ापाण्ड़े द्वारा मय हमराही पुलिस बल के मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त उवेश पुत्र असगर निवासी ग्राम सहरिया थाना मूढ़ापाण्ड़े जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

2- अवैध स्मैक के साथ एक तस्कर गिरफ्तार,थाना गलशहीदः-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने तथा अवैध मादक पदार्थो के निर्माण/तस्करी में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 13.03.2025 को थाना गलशहीद पुलिस द्वारा अभियुक्त नसीम उर्फ लम्बू पुत्र हसमतुल्ला उर्फ छोटे हाजी, निवासी असालतपुरा,थाना गलशहीद,जनपद मुरादाबाद को 25 ग्राम अवैध स्मैक व 2170/- रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध मे थाना गलशहीद पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0- 31/2025 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट अधिनियम पंजीकृत किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

नसीम उर्फ लम्बू पुत्र हसमतुल्ला उर्फ छोटे हाजी, निवासी असालतपुरा,थाना गलशहीद, जनपद मुरादाबाद

बरामदगीः-

25 ग्राम अवैध स्मैक व 2170/- रुपये

आपराधिक इतिहास अभियुक्तः-

1.मु0अ0सं0- 1055/2007 धारा 302/307 भादवि थाना गलशहीद जनपद मुरादाबाद।

2.मु0अ0सं0- 311/11 धारा 395/412/120बी भादवि थाना कोतवाली जनपद मुरादाबाद।

3.मु0अ0सं0- 031/2025 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना गलशहीद जनपद मुरादाबाद।

4.मु0अ0सं0- 0056/2016 धारा 3/24A आयुद्ध अधिनियम थाना कोतवाली जनपद मुरादाबाद।

5.मु0अ0सं0- 0291/2017 धारा 120बी/147/148/149/302 भादवि थाना मुगलपुरा जनपद मुरादाबाद।

6.मु0अ0सं0- 0886/2017 धारा 60 आबकारी अधिनियम व धारा 272/273/420 भादवि थाना मझोला जनपद मुरादाबाद।

7.मु0अ0सं0- 1029/2017 धारा 307 भादवि थाना मझोला जनपद मुरादाबाद।

8.मु0अ0सं0- 1030/2017 धारा 25/27 आयुद्ध अधिनियम थाना मझोला जनपद मुरादाबाद।

9.मु0अ0सं0- 0001/2018 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना मुगलपुरा जनपद मुरादाबाद।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 रूणित तोमर थाना गलशहीद, जनपद मुरादाबाद।
2.उ0नि0 ज्योतिष कुमार थाना गलशहीद, जनपद मुरादाबाद।
3.हे0का0 साकिर अली थाना गलशहीद, जनपद मुरादाबाद।
4.का0 रोहित तोमर थाना गलशहीद, जनपद मुरादाबाद।

3- गाली-गलौज,मारपीट व जान से मारने की नियत से फायर करने के आरोपी को थाना मुगलपुरा पुलिस ने किया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 13.03.2025 को वादी निवासी थाना मुगलपुरा क्षेत्रान्तर्गत ने आरोपीगण द्वारा वादी व वादी के भाई के साथ गाली-गलौज,मारपीट व जान से मारने की नियत से फायर करने के संबंध में थाना मुगलपुरा पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना मुगलपुरा पर मु0अ0सं0- 034/2025 धारा-352/115(2) /109 बीएनएस बनाम असद कमाल आदि 02 नफर पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 14.03.2025 को उ0नि0 हरेन्द्र सिह व उ0नि0 इजहार अली थाना मुगलपुरा द्वारा मय हमराही पुलिस बल के मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त असद कमाल पुत्र कमाल फहीम निवासी मुफ्ती टोला थाना मुगलपुरा जनपद मुरादाबाद को गिरफतार किया गया। तथा अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 बन्दूंक 12 बोर डबल बैरल, 01 रिवाल्वर .32 बोर, 03 कारतूस, 01 लाइसेन्स। व घटना स्थल से बरामद 01 खोखा कारतूस .12 बोर व 02 खोखा कारतूस .32 को बरामद किये गये। बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा-27/30 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

4- थाना भगतपुर पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने वाले 01 व्यक्ति को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 14-03-2025 को थाना भगतपुर पुलिस द्वारा संज्ञेय अपराध कारित करने से रोकने एवं परिशान्ति कायम रखने हेतु अन्तर्गत धारा-170/126/135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में आरोपी धर्मेन्द्र पुत्र कृष्णपाल सिंह ग्राम उदावाला थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय भेजा गया।